न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 61/17 **निर्णय दिनांकः– 21-08-2018**

1. ताजूराम पुत्र श्री मेघाराम जाति जाट
2. पूनाराम पुत्र श्री मेघाराम जात जाट
3. भैराराम पुत्र श्री अणदाराम जाति जाट
4. लादूराम पुत्र श्री सताराम जाति जाट
5. पेमाराम पुत्र सताराम जाति जाट
6. हुक्माराम पुत्र सताराम जाति जाट
7. चूनीदेवी बेवा स्व. श्री सताराम जाति जाट
   निवासी ग्राम पाचौड़ी तहसील खींवसर जिला नागौर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. श्रीमती बरजूदेवी पुत्री स्व. श्री दुर्गाराम पत्नि स्व. श्री हेमाराम जाति जाट
   निवासी काटिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
2. अमराराम पुत्र श्री मेघाराम जाति जाट
3. लाबूराम पुत्र श्री मेघाराम जाति जाट
4. अनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट

4/1. रूपाराम पुत्र श्री अनाराम जाति जाट
4/2. रेखाराम पुत्र श्री अनाराम जाति जाट
4/3. बाबूराम पुत्र श्री अनाराम जाति जाट(फौत)

5. हरकाराम पुत्र श्री करणाराम जाति जाट
6. चूनाराम पुत्र श्री करणाराम जाति जाट
7. गोमदराम पुत्र श्री करणाराम जाति जाट
8. राजस्थान सरकार जरिये

8/1. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर
8/2. उपपंजीयक, खींवसर जिला नागौर
8/3. ग्राम पंचायत पाचौड़ी जिला नागौर

9. दलाराम पुत्र श्री सताराम जाति जाट
10. देवाराम पुत्र श्री सताराम जाति जाट
    निवासीगण पाचौड़ी तहसील व जिला नागौर

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–2014
सहायक कलेक्टर (एसडीओ), खींवसर

उपस्थितः–

1. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित।
2. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री विवेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3
5. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर (एसडीओ), खींवसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–02–2014 जिसके द्वारा अपीलांट्स का वाद खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स श्री मेघाराम गोदारा को बहस हेतु बार–बार आवाजें लगवाने व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बहस करने हेतु कथन किये जाने के उपरान्त भी विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस नहीं की गई। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि प्रस्तुत प्रकरण मूलतः तहसील खींवसर जिला नागौर से संबंधित है। उक्त प्रकरण अपीलांट के प्रार्थना पत्र ही माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 03–08–2017 को आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में हस्तान्तरित किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी थी तथा अपीलांट की तरफ से विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 29–09–2017 को ही अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में दिनांक 29–09–2017 के उपरान्त दिनांक

10—08—2018 तक अभिभाषक अपीलांट निरन्तर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये है। दिनांक 10—08—2018 को दौराने बहस कई बार आवाजें लगवाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हुए पत्रावली पर बहस से गुरेज किया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता पत्रावली पर बहस हेतु तैयार थे। चूंकि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपीलांट्स द्वारा ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अब वे ही पत्रावली पर बहस से गुरेज कर रहे है। जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि वे पत्रावली को येन—केन—प्रकारेण लम्बित रखना चाहते है तथा प्रकरण को लम्बित करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्तुत मामला मूलतः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष दिनांक 14—03—2014 से जैरकार चल रहा है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा दिनांक 14—03—2014 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उक्त पत्रावली दिनांक 10—03—2017 को बहस के स्तर पर आने के पश्चात् अपीलांट्स द्वारा निरन्तर पेशी ली जाती रही है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03—08—2017 को अभिभाषक अपीलांट को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी तारीख पेशी हेतु राशि 1000/— की कॉस्ट लगाई गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार तमाम तथ्यों से यह साबित होता है कि अपीलांट्स अथवा अभिभाषक अपीलांट्स प्रस्तुत मामलें में बहस नहीं करना चाहते है तथा प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा स्थगन आदेश भी प्राप्त किया हुआ है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादगत् भूमि सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 308 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 323 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 114 बीघा, खसरा नम्बर 366 रकबा

66 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 156 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 14 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 392 रकबा 17 बिस्वा गैर मुमकिन टांका, खसरा नम्बर 393 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा मौजा पाचौड़ी व रावो की ढाणी में स्थित है तथा खसरा नम्बर 395 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 443 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 444 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 445 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा मौजा रोही पाचौड़ी में स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार रहते आये है।

दुर्गाराम जी का स्वर्गवास सवंत् 2013 में हो गया व अणदाराम व लिखमाराम संवत् 2000 के आसपास फौत हो गये। जेठाराम लाऔलाद दिनांक 22—02—2005 को फौत हो गया। वादगत् भूमि के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 व 11 से 13 की और से उतरवाद मय काऊन्टर क्लेम पेश किया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत वाद में बिना विवाद्यक विवेचना किये वादी का वाद स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादीगण का काऊन्टर क्लेम खारिज किया गया। जिससे शुब्द होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में तनकीयात तो कायम की गई है परन्तु किसी भी तनकी का विश्लेषण अपना निर्णय पारित करते समय नहीं किया गया है। इसी क्रम में उन्होनें अपील में कथन किया गया है कि दुर्गाराम का स्वर्गवास संवत् 2013 में अर्थात वर्ष 1956 से पूर्व होना वाद के तथ्यों से साबित है। उक्त तथ्य का निर्धारण नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए साबित होना था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दुर्गाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र में दिनांक 28—10—1957 को फौत होना बताया गया है तथा उक्त मृत्यु प्रमाण दिनांक 08—08—2013 को जारी किया गया है जोकि वादपत्र पेश करने के करीब 8 वर्ष बाद जारी करवाया गया है। जो अपने आप में एक

संदिग्ध दस्तावेज है। जबकि जवाब व साक्ष्य से यह साबित है कि स्व. दुर्गाराम का स्वर्गवास सवंत् 2013 में हुआ है जोकि वर्ष 1956 से पहले होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रमाणित है कि दुर्गाराम का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले ही हो गया था जिसके अनुसार पिता की सम्पति में से पुत्रियों का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। ऐसी स्थिति मे वादिनी बरजुदेवी का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार कोई हक व हिस्सा विधिक रूप से साबित नहीं होता है। उक्त स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजुद भी अदालत मातहत द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने में कानूनी भूल कारित की है।

जहॉ तक वादगत् भूमि पर वादिनी के कब्जे काश्त का प्रश्न है वादिनी की आयु करीब 90 वर्ष है तथा पिछले 75 वर्षो से वह अपने सुसराल में निवास करती है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर कभी भी बरजुदेवी का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में वादिनी किसी प्रकार की धोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रकरण में वादिनी द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक ही परिवार का सदस्या होना बताया गया है जबकि वादिनी अपने विवाह के उपरान्त से ही अपने सुसराल रहती रही है ऐसी स्थिति में वादिनी हिन्दु संयुक्त परिवार की सदस्या नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वादिनी को वाद दायर करने का अधिकार नहीं था। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त तथ्यों के बावजूद वादिनी का वाद स्वीकार करने में कानूनी गलती कारित की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है। जबकि साक्ष्य से भूमि पुश्तैनी होना साबित है तथा पुश्तैनी भूमि में 2005 के पश्चात् पुत्रियों का हक व अधिकार निर्धारित होता है जबकि वाद पहले का पेश किया हुआ है जिसके संबंध में उक्त विधिक प्रावधान लागू नहीं होते है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो वाद के तथ्यों को ना ही काऊन्टर क्लेम के तथ्यों का उल्लेख किया ना ही साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई विवेचन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इन तमाम कूननी तथ्यों जो कि प्रकरण की वस्तुस्थिति के

मद्देनजर आवश्यक प्रावधान थे, को दरकिनार करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने सेा काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2014 निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादगत् भूमि पुश्तैनी एवं बडेरों की है जोकि राजस्व रिकार्ड से साबित है। राजस्व रिकार्ड की नकल खतौनियॉ संवत् 2010 से लेकर आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसक अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि पूर्व में स्व. दुर्गाराम की खातेदारी भूमि रही है तत्पश्चात् विरासतन इंतकाल दर्ज होने पर वादगत् भूमि स्व. दुर्गाराम के पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गई व पुत्री का नाम इंतकाल में दर्ज करने से रह गया। जिससे व्यथित होकर वादिनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्यों के पश्चात् वादगत् भूमि पुश्तैनी होने व बरजुदेवी स्व. दुर्गाराम की संतान होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसको वारिस व सह खातेदार मानते हुए वादिनी को सह खातेदार धोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रूटि नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया किया कि वादग्रस्त भूमि तमाम राजस्व रिकार्ड से पुश्तैनी भूमि साबित है। स्व. दुर्गाराम के पॉच वारिस यानि चार पुत्र अणदाराम, लिखमाराम, जेठाराम, मेघाराम व पुत्री बरजु देवी है। जेठाराम लाऔलाद फौत हो जाने पर प्रथम श्रेणी के वारिस शेष चार उत्तराधिकारी अर्थात अणदाराम, लिखमाराम, मेघाराम व बरजुदेवी है। इस प्रकार वादगत् भूमि में प्रत्येक का 1/4 — 1/4 बहिस्सा बराबर निहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वादिनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की त्रूटि नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट्स का मुख्य आधार यह है कि दुर्गाराम का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होन से पूर्व हो गया था इसलिए बरजुदेवी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। जबकि वास्तविकता यह है कि दुर्गाराम का देहान्त दिनांक 28—01—1957 को हुआ था। इस संबंध में ग्राम पंचायत पांचोड़ी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिससे साबित है कि दुर्गाराम की मृत्यु से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू हो गये थे। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित थे कि वादगत् भूमि संयुक्त परिवार की व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये संशोधन अनुसार हिन्दु पुश्तैनी सम्पति का विभाजन नहीं हुआ है तो कोई भी पुत्री अपने पिता की पैतृक सम्पति में हिस्से की मांग कर खातेदारी की धोषणा करवा सकती है। अदालत मातहत द्वारा भी इसी आधार पर वादिनी बरजुदेवी को उसके हक व हिस्से अर्थात वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक अमराराम द्वारा काऊन्टर अपील प्रस्तुत करने का कथन है इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बरजुदेवी का हक व हिस्सा होना, कब्जा होना तथा बरजुदेवी के हक व हिस्से अर्थात वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त काऊन्टर अपील का कोई औचित्य शेष नहीं रहा जाता है। लिहाजा अमराराम द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह साबित है कि वादिनी वादगत् भूमि की 1/4 हिस्से तक की खातेदार काश्तकार है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा वादिनी कावाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि का 1/4 हिस्से की हद तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादिनी दुर्गाराम की पुत्री होना तो स्वीकार किया गया है लेकिन हिन्दु संयुक्त परिवार का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया है क्योंकि बरजुदेवी का विवाह संवत् 2000 में हुई थी तथा तभी से वह अपनी सुसराल में निवास कर रही है। इसी प्रकार स्व. दुर्गाराम का स्वर्गवास हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभावी होने से तीन वर्ष पूर्व हो गया था। ऐसी स्थिति में पुश्तैनी भूमि पर केवल मात्र पुत्रों का अधिकार होता है तथा पुश्तैनी भूमि पर पुत्री बरजुदेवी का कोई हक व अधिकार नहीं होने का कथन किया गया है। स्व. दुर्गाराम के एक पुत्र जेठाराम लाऔलाद फौत हो जाने पर शेष तीन पुत्रों में वादगत् भूमि पर 1/3 —1/3 हिस्सा निहित होना बताया गया है।

अदालत मातहत द्वारा वादिनी को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। इसी के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में नियमानुसार तनकीयात् कायम तो की गई, परन्तु किसी भी तनकी का विवचेन अपने निर्णय में नहीं किया गया है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा का आदेश है। जिसे खारिज फरमाया जावे।

(3) इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि स्व. दुर्गाराम के पॉच वारिस यानि चार पुत्र अणदाराम, लिखमाराम, जेठाराम, मेघाराम व पुत्री बरजु देवी है। जेठाराम लाऔलाद फौत हो जाने पर प्रथम श्रेणी के वारिस शेष चार उत्तराधिकारी अर्थात अणदाराम, लिखमाराम, मेघाराम व बरजुदेवी है। इस प्रकार वादगत् भूमि में प्रत्येक का 1/4 — 1/4 बहिस्सा बराबर निहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर वादिनी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है।

दुर्गाराम की वंशावली निम्न प्रकार हैः—

अणदाराम	**लिखमाराम**	**जेठाराम**	**मेघाराम**	**बरजुदेवी**
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)
(फौत)	(फौत)	(ला.औलाद फौत)	(फौत)	रेस्पो.सं. 1

छताराम देवाराम ताजूराम लाबुराम पुनाराम अमराराम
लादूराम
पेमाराम
हुक्माराम
दलाराम
चुनी(पत्नी)

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादगत् भूमि सह कब्जे काश्त व सह खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 308 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 323 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 114 बीघा, खसरा नम्बर 366 रकबा 66 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 156 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 14 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 392 रकबा 17 बिस्वा गैर मुमकिन टांका, खसरा नम्बर 393 रकबा 15 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा मौजा पाचौड़ी व रावो की ढाणी में स्थित है तथा खसरा

नम्बर 395 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 443 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 444 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 445 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा मौजा रोही पाचौड़ी में स्थित है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को लेकर है।** हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर पुत्रियों के अधिकार का प्रश्न है इस संबंध में धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी निम्नानुसार दर्शाये गये हैः—

1- Son,
2- daughter,
3- widow,
4- mother;
5- son of a predeceased son;
6- daughter of a predeceased son;
7- son of a predeceased daughter;
8- daughter of a predeceased son;
9- widow of a predeceased son;
10- son of a predeceased son of a predeceased son;
11- daughter of a predeceased son of a predeceased son;
12- widow of a predeceased son of a predeceased (son of predeceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased son)

(6) उपरोक्त विवरण के अनुसार अपीलांट्स/वादिनी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत स्व. दुर्गाराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की श्रेणी में आना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हिन्दु सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त ही उसकी पुत्रियॉ उत्तराधिकारी बनती है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उनके पिता की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियॉ भी उत्तराधिकारी बनती है। स्व. दुर्गाराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पति उनके प्रथम श्रेणी के हेयर अर्थात उनके पुत्रों व पुत्रियों में निहित हो जाती है। अतः वादिनी वादगत् भूमि के प्रथम श्रेणी का हेयर है। प्रकरण में वादिनी का मुख्य आधार यह है कि वह स्व. दुर्गाराम की पुत्री होने के नाते वादगत् भूमि वादिनी का हिन्दु विधि के अनुसार बराबर हिस्सा बनता है। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि वादगत् भूमि स्व. दुर्गाराम की मृत्यु के उपरान्त स्वतः ही उसमें निहित होनी थी।

(7) प्रकरण में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व निर्धारित तनकीयात का विवेचन नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि वादिनी बरजुदेवी स्व. दुर्गाराम की पुत्री है तथा वादगत् भूमि पर उसके हक व हकुक पुत्री होने के नाते निहित है तथा अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए वादिनी बरजुदेवी को वादगत् भूमि का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना युक्ति युक्त नहीं माना जा सकता है।

(8) प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष वादी/प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। जिसके आधार पर यह साबित है कि दुर्गाराम का स्वर्गवास 1957 में होना साबित है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पुत्री अपने पिता की सम्पति पर हक प्राप्त करने की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम का कोई आचित्य शेष नहीं रह जाता है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को खारिज करन में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर (एसडीओ), खींवसर का निर्णय व डिक्री दिनांक 14—02—2014 यथावत बहाल रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 21-08-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर